<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/सीलिंग/2377/2000/बून्दी</u>

1 करणीदानसिंह पुत्र दुर्गादान (मृतक) जरिये वारिसान
1/1 भगवतीसिंह पुत्र करणीदान
1/2 पारस कवंर पुत्री करणीदान
2 गोविन्दसिंह पुत्र दुर्गादान
3 रामसिंह पुत्र दुर्गादान
4 विजयसिंह उर्फ हरिसिंह पुत्र दुर्गादान (मृतक) जरिये वारिसान
4/1 मधुसुदन सिंह पुत्र विजयसिंह
4/2 शारदा कवंर पत्नी विजयसिंह
4/3 ज्योति कवंर पुत्री विजयसिंह
4/4 प्रभा कवंर पुत्री विजयसिंह सभी जाति चारण निवासी ग्राम बामन गांव तहसील नैनवा जिला बून्दी

अपीलार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार
2 भवान बाई पत्नी दुर्गादान निवासी बामनगांव (फौत नाम तर्क)
3 इन्द्र कवंरी पत्नी बालकृष्ण निवासी जैठाना तहसील अजमेर
4 कैलाश कवंर पत्नी चेनसिंह बन्सूर निवासी 347/2 लोहाखान मीठे कुए की गली, अजमेर
5 लाडकवंर पत्नी मूलसिंह जाति चारण निवासी 347/2 लोहाखान मीठे कुए की गली, अजमेर
6 विमला पत्नी नृसिंहदान जाति चारण निवासी ग्राम आदरवा पोस्ट मरवा वाया नारायणा जिला जयपुर
7 चिन्तामणी पत्नी अर्जुनसिंह जाति चारण निवासी आदरवा पोस्ट मरवा वाया नारायणा जिला जयपुर

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपसिथतः श्री डूंगरसिंह राठौड वकील अपीलार्थीगण
श्री लोकेन्द्रसिंह राणावत उप राजकीय अभिभाषक।

<u>निर्णय</u>

<u>दिनांकः.18.2.19</u>

यह अपील धारा 23(2)ए राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में नया सीलिंग कानून) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 9/83 में पारित निर्णय दिनांक 3.6.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी, नैनवां ने असेसी मृतक दुर्गादान पुत्र माधोदान के विरूद्ध पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 2.4.75 से कार्यवाही समाप्त कर दी। राज्य सरकार के ध्यान में लाये जाने पर राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.1(218)/राज/सी/79 दिनांक 1.4.1981 से नये सीलिंग कानून की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रकरण को पुनः खोले जाने का आदेश देते हुए अतिरिक्त कलक्टर, बून्दी को प्राधिकृत किया। अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) बून्दी ने बाद कार्यवाही निर्णय दिनांक 3.6.2000 से असेसी मृतक दुर्गादान के पास 37.03 स्टे0 एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर अधिग्रहण किये जाने का आदेश दिया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें जन्म से ही असेसी मृतक दुर्गादान एवं उनके पुत्रों का अधिकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय स्वंय ने भी विवादित भूमि को पैतृक सम्पति होना माना है। साक्ष्यों एवं पटवारी रिपोर्ट आदि से भी भूमि पैतृक होना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय ने असेसी मृतक दुर्गादान के चार पुत्र निर्धारित तिथि 1.4.66 को होना माना है तथा एक पुत्र करणीदान को बालिग पुत्र माना है। भूमि को पुश्तैनी मानते हुए सभी पुत्रों का नोशनल शेयर होना भी माना है परन्तु नाबालिग पुत्रों का शेयर पिता के साथ जोडकर गणना कर अपीलाधीन निर्णय दिया है जो अनुचित एवं विधि विरूद्ध है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि नाबालिग पुत्र कोपार्सनर होने से पुश्तैनी भूमि में जन्म से ही अपना हक व अधिकार रखते हैं तथा नाबालिग पुत्रो को उनकी उम्र के आधार पर आश्रित होना नहीं माना जा सकता बल्कि उनके द्वारा धारित भूमि पर आश्रित होना माना जाता है। असेसी मृतक दुर्गादान के चार पुत्रों में से एक करणीदान बालिग है तथा शेष तीन नाबालिग हैं तो भी उनका हिस्सा असेसी के साथ नहीं जोडा जा सकता। चारों पुत्रों का हिस्सा अलग करने पर निर्धारित तिथि 1.4.66 को असेसी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं रहती है जिससे कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्का के समर्थन में आर.आर.डी. 2001 पेज 357, आर.एल.डब्ल्यू. 2006(1) राज. पेज 173, आर.आर.डी. 1998 पेज 140, आर. आर.डी. 1994 पेज 222 एवं आर.एल.डब्ल्यू. 2012(1)राज. पेज 451 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील स्वीकार

कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे एवं सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जावे।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष उठाये गये सभी बिन्दुओं पर विचार कर विस्तृत निर्णय दिया है। असेसी की पुत्रियां विवाहित थी तथा पुत्र नाबालिग हैं। नाबालिग पुत्र परिवार के सदस्य हैं तथा विवादित पुत्रियों को परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता। नाबालिग पुत्र अपने पिता पर ही आश्रित होते हैं। जिससे असेसी द्वारा धारित भूमि पैतृक होने पर भी उनके नाबालिग पुत्रों का हिस्सा पिता के साथ जोडा जावेगा जिससे असेसी के पास निर्धारित तिथि को 37.03 स्टे. एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से अधिग्रहण योग्य है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी संख्या 1 व 4 का देहान्त हो जाने से उनके वारिसान को अभिलेख पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वारिसान को अभिलेख पर लिया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के वारिसान पहले से ही अभिलेख पर होने से मृतक प्रत्यर्थी संख्या 2 का नाम तर्क किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निर्धारित तिथि 1.4.66 को असेसी मृतक दुर्गादान पुत्र माधोदान के धारण में 268 बीघा 1 बिस्वा भूमि थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई गणना के अनुसार 268 बीघा 1 बिस्वा के 96.28 स्टे0 एकड बनते है।

घोषणाकर्ता असेसी मृतक दुर्गादान द्वारा की गई घोषणा एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित तिथि 1.4.66 को असेसी के परिवार में कुल 11 सदस्य बताये गये हैं जिनमें से एक पुत्र करणीदान निर्धारित तिथि को बालिग होना साबित है तथा अन्य पुत्र गोविन्दसिंह, रामसिंह व हरिसिंह नाबालिग हैं तथा पुत्री कैलाशबाई, इन्द्र कवंर निर्धारित तिथि को विवाहित होना पाया जाता है। पुत्री विमल बाई व चिन्तामणी नाबालिग हैं। असेसी स्वंय व उनकी पत्नी भवान बाई हैं। इस प्रकार परिवार में 8 सदस्य निर्धारित तिथि को हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से एवं घोषणाकर्ता तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट आदि से तथा स्वंय अधीनस्थ न्यायालय के अनुसार विवादित भूमि पैतृक सम्पति है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पैतृक सम्पति में असेसी के सभी पुत्र कोपार्सनर (सहदायिक) होने से जन्म से ही अपना नोशनल शेयर

रखते हैं। इस प्रकार विवादित भूमि में एक शेयर असेसी मृतक दुर्गादान का एवं चार शेयर उसके पुत्रों के बनते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई गणना के अनुसार एक शेयरर के हिस्से में 19.25 स्टे0 एकड भूमि आती हैं। इस संबंध में कोई विवाद भी नहीं है तथा राज्य पक्ष की ओर से किसी प्रकार की आपति भी नहीं की गई है।

अब देखे जाने वाला मुख्य बिन्दु यह है कि नाबालिग पुत्रों को पिता पर आश्रित माना जावे अथवा नहीं। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने नाबालिग पुत्रो को अनके पिता पर आश्रित मानकर उनका शेयर पिता के साथ जोडकर गणना की है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। क्योंकि नाबालिग पुत्र, पैतृक भूमि में उसे प्राप्त नोशनल शेयर से प्राप्त होने वाली आय से स्वंय को पोषित करने में सक्षम है। जिससे उसे पिता पर आश्रित नहीं माना जा सकता।

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2001 पेज 357, आर.एल.डब्ल्यू. 2006(1) राज. पेज 173 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि पैतृक भूमि में पुत्र जन्म से ही कोपार्सनरी अधिकार (सहदायिकी अधिकार) प्राप्त कर लेते हैं। नाबालिग पुत्रो को पिता पर आश्रित नहीं माना जा सकता बल्कि उन्हें प्राप्त हिस्से से प्राप्त आय पर आश्रित माने जावेंगें। जिससे नाबालिग पुत्रो का हिस्सा पिता के साथ नहीं जोडा जा सकता। इसी प्रकार आर.आर.डी. 1998 पेज 140 में राजस्व मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पैतृक भूमि में नाबालिग पुत्र कोपार्सनर हैं एवं अपना हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। नाबालिग पुत्रो का हिस्सा असेसी पिता के साथ नहीं जोडा जा सकता। आर.आर.डी. 1994 पेज 222 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पैतृक भूमि में नाबालिग पुत्रो को परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता एवं उनका हिस्सा नहीं जोडा जा सकता।

उपरोक्त कानूनी स्थिति एवं न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार वर्तमान प्रकरण में असेसी के चारों पुत्र (एक बालिग एवं तीन नाबालिग) असेसी पर आश्रित नहीं माने जा सकते एवं पैतृक सम्पति में उन्हें प्राप्त हिस्सा असेसी पिता के साथ नहीं जोडा जा सकता। इस प्रकार वर्तमान प्रकरण में असेसी मृतक दुर्गादान के चारों पुत्रों को इस पैतृक भूमि में प्राप्त हिस्से को अलग करने पर असेसी मृतक दुर्गादान के पास 19.25 स्टे0 एकड भूमि रहती है जो सीलिंग सीमा से कम होने से हम यह अपील स्वीकार करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) बून्दी का निर्णय दिनांक 3.6.2000 निरस्त किया जाता है। तदनुसार यह सीलिंग कार्यवाही समाप्त की जाती है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य